तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **वाद पत्र संख्या 131 / 2017 GCMS No. 2017/00421** **उनवानी बहादुर सिंह बनाम इन्द्रसिंह आदि** **अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट 1955 व 136 एल.आर. एक्ट 1956**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.07.2024	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर सुनवाई हेतु अधिवक्ता वादी को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर अधिवक्ता वादी हाजिर आये। अधिवक्ता वादी को सुना गया। पत्रावली की गत आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर पाया गया कि वादी को प्रतिवादी सं. 24 से 29 की तामील करवाये जाने हेतु बार–बार आदेश दिये जाने के उपरान्त भी वादी ने दावा दायरी से लेकर आज तक प्रतिवादी सं. 24 से 29 की तामील नहीं करवाई है। इससे जाहिर होता है कि वादीगण को प्रतिवादीगण की तामील कराने में कोई रूची नहीं है। बार–बार आदेश दिये जाने के बावजूद भी पूर्व आदेशिकाओं की पालना बिना किसी उचित कारण के जानबूझ के नहीं की जा रही है। अतः वादी का वाद तामील के अभाव में आदेश 9 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। **उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी** न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला- नीमकाथाना (राज.)	